Padma Kant Malaviya VII/35 ABHYUDAYA PRESS

Allahabad 10.10.1964

आदरणीय चाचा जी,

इधर बहुत दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला । आशा है आप प्रसन्न और स्वस्थ होंगे । यह पत्र मैं एक विशेष कार्य से लिख रहा हूं ।

इधर मेरे विपक्षी मेरे विरुद्ध यह प्रचार जोरों से कर रहे हैं कि सन् १९४३ में श्री राम रतन गुप्त के मुकाबिले में मैं उनसे रुपये लेकर बैठा था । आपको स्मरण होगा कि मैंने स्वर्गीय श्री भूला भाई जी को उपलिखित उप-चुनाव के संबन्ध में कांग्रेस की ओर से खड़े होने के लिये लिखा था चूंकि दमन के उस जमाने में कोई भी कांग्रेस उम्मीदवार बनने को तैयार न था । कांग्रेस उक्त चुनाव में भाग लेगी या नहीं इसका निर्णय उन्होंने आप पर छोड़ दिया था और आपने ही यह निर्णय दिया था कि चूंकि कांग्रेस इस चुनाव में भाग नहीं लेगी ऐसी दशा में मेरा बैठ जाना ही उचित होगा । आपका पत्र पाकर ही मैं बैठा था और मेरे विरुद्ध जो प्रचार हो रहा है वह नितान्त मिथ्या और भ्रामक है ।

सन् १९४५ में स्थानीय नगर कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुन लिये जाने पर इन्हीं लोगों ने यही बातें मेरे विरुद्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को भी भेजी थी । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री जगन प्रसाद रावत जी ने जांच की थी और आपके तथा भूलाभाई जी के पत्रों को मैंने उन्हें ही दे दिया था वह पत्र आज मेरे पास होता तो आपको कष्ट देने की आवश्यकता न पड़ती पर अभाग्यवश वह गुम हो चुका है, यद्यपि श्री रावत ने जो जांच की थी उसकी प्रति मेरे पास है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैंने अपने बयान में कहा था :-

" १९४१ में केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में श्री सालिगराम जी ने उनका नाम उम्मीदवारी के लिये पेश किया था । उनसे किसी ने आदेश नहीं दिया कि वह नामज़दगी का पर्चा दाखिल करें । उन्होंने अपनी नामज़दगी का पर्चा दाखिल नहीं किया । जब तक कांग्रेस ने ८ अगस्त वाला प्रस्ताव पास नहीं किया उनमें कांग्रेस में मतभेद था और फतेहपुर ब्लाक के नियंत्रण में था । कांग्रेस के ८ अगस्त वाले प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद मैं कांग्रेस के साथ हो गया । मैं कांग्रेस टिकट पर खड़ा नहीं किया गया । इसके प्रमाण में श्री भूलाभाई देसाई का पत्र उन्होंने पेश किया । इस सम्बन्ध में श्री श्रीप्रकाश जी का पत्र भी पेश किया गया जिसमें यह आदेश था कि उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिये ।"

जो लोग इस तरह का गन्दा प्रचार कर रहे हैं उन्हें सब कुछ मालूम है फिर भी वे अपनी हरकत से बाज़ नहीं आ रहे हैं । दुनिया का नियम यह है कि एक बार जो आरोप लगाया जाय उसका निर्णय हो जाने के बाद उसे फिर दुहराया नहीं जाता पर ज्ञान तो अज्ञानी को ही दिया जा सकता है पर जो ज्ञानी होते हुये भी अज्ञानी ही बना रहना चाहे उसे कौन ज्ञान दे सकता है ।

पी० टी० ओ०

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत National Archives of India

Padma Kant Malaviya

ABHYUDAYA PRESS

Allahabad 10.10.1964

आदरणीय चाचा जी,

इधर बहुत दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला । आशा है आप प्रसन्न और स्वस्थ होंगे । यह पत्र मैं एक विशेष कार्य से लिख रहा हूं ।

इधर मेरे विपक्षी मेरे विरुद्ध यह प्रचार जोरों से कर रहे हैं कि सन् १९४३ में श्री राम रतन गुप्त के मुकाबिले में मैं उनसे रुपये लेकर बैठा था । आपको स्मरण होगा कि मैंने स्वर्गीय श्री भूला भाई जी को उपलिखित उप-चुनाव के संबन्ध में कांग्रेस की ओर से खड़े होने के लिये लिखा था चूंकि दमन के उस जमाने में कोई भी कांग्रेस उम्मीदवार बनने को तैयार न था । कांग्रेस उक्त चुनाव में भाग लेगी या नहीं इसका निर्णय उन्होंने आप पर छोड़ दिया था और आपने ही यह निर्णय दिया था कि चूंकि कांग्रेस इस चुनाव में भाग नहीं लेगी ऐसी दशा में मेरा बैठ जाना ही उचित होगा । आपका पत्र पाकर ही मैं बैठा था और मेरे विरुद्ध जो प्रचार हो रहा है वह नितान्त मिथ्या और भ्रामक है ।

सन् १९४५ में स्थानीय नगर कांग्रेस कमेटी का सदस्य चुन लिये जाने पर इन्हीं लोगों ने यही बातें मेरे ~~विरुद्ध~~ विरुद्ध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को भी भेजी थी । प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री जगन प्रसाद रावत जी ने जांच की थी और आपके तथा भूलाभाई जी के पत्रों को मैंने उन्हें ही दे दिया था वह पत्र आज मेरे पास होता तो आपको कष्ट देने की आवश्यकता न पड़ती पर अभाग्यवश वह गुम हो चुका है, यद्यपि श्री रावत ने जो जांच की थी उसकी प्रति मेरे पास है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैंने अपने बयान में कहा था :-

" १९४१ में केन्द्रीय असेम्बली के चुनाव में श्री सालिगराम जी ने उनका नाम उम्मीदवारी के लिये पेश किया था । उनसे किसी ने आदेश नहीं दिया कि वह नामज़दगी का पर्चा दाखिल करें । उन्होंने अपनी नामज़दगी का पर्चा दाखिल नहीं किया । जब तक कांग्रेस ने ८ अगस्त वाला प्रस्ताव पास नहीं किया उनमें कांग्रेस में मतभेद था और फारवर्ड ब्लाक के नियंत्रण में था । कांग्रेस के ८ अगस्त वाले प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद मैं कांग्रेस के साथ हो गया । मैं कांग्रेस टिकट पर खड़ा नहीं किया गया । इसके प्रमाण में श्री भूलाभाई देसाई का पत्र उन्होंने पेश किया । इस सम्बन्ध में श्री श्रीप्रकाश जी का पत्र भी पेश किया गया जिसमें यह आदेश था कि उन्हें खड़ा नहीं होना चाहिये ।"

जो लोग इस तरह का गन्दा प्रचार कर रहे हैं उन्हें सब कुछ मालूम है फिर भी वे अपनी हरकत से बाज़ नहीं आ रहे हैं । दुनिया का नियम यह है कि एक बार जो आरोप लगाया जाय उसका निर्णय हो जाने के बाद उसे फिर दुहराया नहीं जाता पर ज्ञान तो अज्ञानी को ही दिया जा सकता है पर जो ज्ञानी होते हुये भी अज्ञानी ही बना रहना चाहेउसे कौन ज्ञान दे सकता है ।

पी० टी०

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

पर हूँ कि इस प्रचार से भ्रम फैलने की सम्भावना है इसलिये आपको कष्ट देना पड़ रहा है। आशा है कष्ट के लिये क्षमा करते हुये आप अपना पत्र शीघ्रातिशीघ्र भेजने की कृपा करेंगे।

सादर, आपका

श्री श्रीप्रकाश जी,
६, बुल्लू पुर,
देहरादून

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA